

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री जगदीश राजपुरोहित
जाति राजपुरोहित
निवासी एट. पोस्ट जोडवाडा वाया भीनमाल
जिला जालोर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 69 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ताशेख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नवारा में आने वाले गांवों में गोचर/ओरण/बंजर/शिवायचक जैसी कुल कितनी किस्म की जमीन है उनके खसरा नम्बर एवं हैक्टेयर मानचित्र सहित एवं ग्राम पंचायत नवारा के पटवार हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के नाम एवं मोबाईल नम्बर से सम्बन्धित सूचना, लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नवारा में आने वाले गांवों में गोचर/ओरण/बंजर/शिवायचक जैसी कुल कितनी किस्म की जमीन है उनके खसरा नम्बर एवं हैक्टेयर मानचित्र सहित एवं ग्राम पंचायत नवारा के पटवार हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के नाम एवं मोबाईल नम्बर से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि उपरोक्त सूचना तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 30 दिनांक 08.11.2021 को अपीलांत को दे दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

